झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

L 102

CIN U40108 JH2013 SGC OO1603

निगम कार्यालय : *अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4*

(कार्मिक विभाग)

कार्यालय आदेश संख्या 2130 | दिनांक 09.10.2017

संचिका संख्या – VI/ कार्मिक/ विविध/ सुरक्षा उपकरण–3084 /2016

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कतिपय स्थलों से विद्युत स्पर्शाघात से होनेवाली मृत्यु/ दुर्घटना से संबंधित सामाचार आये दिन सामाचार पत्रों/ विभागीय पत्रों के माध्यम से निगम मुख्यालय को प्राप्त हो रहे हैं।

विद्युत स्पर्शाघात से होनेवाली ऐसे दुर्घटनाओं के संबंध में प्रायः मुख्यमंत्री जनसंवाद/ प्रधानमंत्री कार्यालय/ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/ झारखण्ड राज्य नियामक आयोग से भी शिकायत पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसे मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सुरक्षा संबंधित मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ दुर्घटना के पश्चात मुआवजे इत्यादि से संबंधित मामले को भी अनावश्यक रुप से लंबित रखा जा रहा है जबकि उक्त संदर्भ में निगम मुख्यालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश पूर्व में ही संसुचित किया जा चूका है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निगम मुख्यालय द्वारा ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया गया है एवं तदनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु निम्न रुप में एक समिति का गठन किया जाता हैः–

O/C

1. विद्युत अधीक्षण अभियंता (संबंधित विद्युत आपूर्ति अंचल) – अध्यक्ष
2. विद्युत कार्यपालक अभियंता – सदस्य
3. सहायक विद्युत अभियंता – सदस्य

उक्त समिति में दुर्घटना घटित होनेवाले क्षेत्र से भिन्न कार्यालय में पदस्थापित विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं सहायक विद्युत अभियंता को सदस्य के रुप में महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियंता के द्वारा नामित किया जायेगा। उक्त समिति 07 (सात) दिनों के अन्दर अपना विस्तृत प्रतिवेदन (दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित करते हुए) संबंधित क्षेत्र के महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियंता को समर्पित करेगें। तदनुसार, निगम के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

इसमें सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(गोविन्द यादव)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक ..../ निगम मुख्यालय, राँची | दिनांक ....

प्रतिलिपिः अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक के तकनीकी सचिव/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निजी सहायक/अपर पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक/ महाप्रबन्धक (कार्मिक सह सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(गोविन्द यादव)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक 1741 / निगम मुख्यालय, राँची | दिनांक 09.10.2017

प्रतिलिपि सभी महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/ सहायक विद्युत अभियंता/ विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Yadav 06/10/17
(गोविन्द यादव)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)